

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी०संख्या-४ / यो०ब०-४७ / २०१५

43/४० व०५० राँची, दिनांक- ३०.१०.२०१५

प्रेषक,

ए० के० रस्तोर्गी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

महालेखाकार (ले० एवं ह०).
झारखण्ड, राँची।

३०

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

BRIEF REPORT

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत 'वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण' योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

४८५

वित्त विभाग, झारखण्ड, रौंची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

संक्षिप्त

निवेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" के अंतर्गत कुल रु० 300.00 लाख (तीन करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण", वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है। वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के अंतर्गत राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 गजपर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 गजपरियोजना तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अवैध शिकार के मानले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना है। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध से संबंधित एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना, वन्यप्राणी अपराध से संबंधित ऑफेस (Data Base) संकलित करना ताकि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार रोकने में प्रभावी रूप से नियन्त्रित किया जा सके। इस योजना अंतर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से संबंधित मानलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं जन समुदायों विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत “वन्यप्राणी अपराध नियन्त्रण” योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि का व्यय विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग-निवेशिका में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

4. स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 101—वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष 45—वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण	मजदूरी	19P240601101450103	120.00	120.00
आपूर्ति एवं सामग्री		19P240601101450323	180.00	158.00
कुल स्वीकृत राशि— दो करोड़ अठहत्तर लाख रुपये मात्र			300.00	278.00

5. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण के अनुसार होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन नक्षेमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रौंची की अधिसूचना संख्या—301 दिनांक—11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक झाह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रण पदाधिकारियों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी—सह—मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक / मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशासनों के अनुसार की जाएगी।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम— 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्रावक्तव्य पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
14. मजदूरी का भुगतान श्रृंग नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या निलगे जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निश्चयन हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा बन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य बन संरक्षक / मुख्य बन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुसंसारों के अनुसार की जाएगी।
17. इस योजनान्तर्गत बानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर नियंत्री जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी इर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का बैंकासिक Reconciliation समय समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30/10
(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

अनु०-यथोक्त।

43/३
30/10/2015

(४० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

व०प० / राँची, दिनांक - 30.10.2015

બાપાંક -4 / યોગ્ય-47 / 2015

431

ज्ञापांक -4 / या०ब०-४१ / २०१३
प्रतिलिपि :- सनुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी का सूचनाथ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प० के० रस्तोगी)

सरकार के विदेश सचिव।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यालय की जाने वाली “कल्याणी अपराध नियंत्रण” योजना के अन्तर्गत स्थीकृत गौतिक एवं वित्तीय लकड़ी

(राशि लाख में)

क्रम	निकासी एवं व्यवहार	विवरणी	प्राप्तकर्तित राशि	मुख्यदरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
पदाधिकारी						
1	वन प्रमण्डल	केन्द्रीय प्रकोष्ठ का गठन (युक्तात्म रत्न पर) (Constitution of Central Force)	15,000	9,880	5,120	15,000
1	पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राजी	काम्पटर रूम की खापना / जीणीद्वार, काम्पटर ऑपरेटर, प्रहार बल, तकनीकी विशेषज्ञ, System analyst, चौकोदार, आदेशपाल आदि का मानदेव	0.000	0.000	0.000	0.000
2	प्रमण्डल, राजी	केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु ताहन का क्रप आधिकात्म संयंग्रां का क्रप काम्पटर, कलर प्रिन्टर, फैक्स, LED 52", DVD, LCD Projector screen संचार उपकरण, जीणीद्वार सिस्टम, सोनरट्रैकर विकास / क्रम इत्यादि	10,000	0.000	10,000	10,000
3	प्रमण्डल, राजी	युप सूरक्षाओं का संग्रहा (Intelligence Gathering) के द्वाय प्रकोष्ठ हेतु कौशल विकास (Capacity Building)	2,140	2,140	0.000	2,140
3	प्रमण्डल	कर विभाग, पुलिस विभाग, रेल विभाग, घट्ट परिवहन, एयरपोर्ट आदिरि के पदाधिकारियाँ / मुख्य पदाधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	7,000	2,000	5,000	7,000
4	प्रमण्डल	निगरानी (Surveillance) वन्य प्राणी आशयणी के मुख्य हार पर CCTV एवं गोमीटर का क्रम योग	1,370	0.000	1,370	1,370
4	प्रमण्डल	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का खापना / जीणीद्वार, काम्पटर इत्यादि का क्रप, काम्पटर ऑपरेटर का मानदेव इत्यादि	6,000	4,000	2,000	6,000
5	प्रमण्डल	प्रहार बल (Striking Force) होमार्ग / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेव इत्यादि	9,000	9,000	0.000	9,000
5	प्रमण्डल	युप सूरक्षाओं का संग्रहा (Intelligence Gathering) रेख्यु क्रिये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)	2,140	2,140	0.000	2,140
6	प्रमण्डल	निगरानी (Surveillance) नाईट विजन केराप, नाईट विजन वायनेव्युलर, अत्याधिक संचार उपकरण योग	9,094	0.000	9,094	9,094
6	प्रमण्डल	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का खापना / जीणीद्वार, काम्पटर इत्यादि का क्रप, काम्पटर ऑपरेटर का मानदेव इत्यादि	6,000	4,000	2,000	6,000

43/2
30.10.2015

क्रम	निकासी एवं व्यवस्था	विवरणी	प्राप्तकर्ता	प्राप्तकर्ता	भजदारी	आपूर्ति एवं सामग्री	फुल
1	प्रहर बल (Striking Force)	प्रहर बल / तकनीकी निशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय देखादि होमगाई / तकनीकी निशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय देखादि	9.000	9.000	0.000	9.000	
2	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2.140	2.140	0.000	2.140	0.000
3	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	9.094	0.000	9.094	9.094	0.000
4	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि					
5	निगरानी (Surveillance)	निगरानी (Surveillance)	1.860	0.000	1.860	1.860	
1	नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन वायरोफ्लूटर्स, अत्यधिक संचार उपकरण योग	नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन वायरोफ्लूटर्स, अत्यधिक संचार उपकरण योग	28.094	15.140	12.954	28.094	
1	बन प्राप्तकर्ता प्रदातिकरी, बोकारो बन प्राप्तकर्ता	बन केंद्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उपरां केंद्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीणोंदार, कम्प्यूटर इलादि का कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इलादि	6.000	4.000	2.000	6.000	
2	प्रहर बल (Striking Force)	प्रहर बल / तकनीकी निशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इलादि	9.000	9.000	0.000	9.000	
1	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2.140	2.140	0.000	2.140	
3	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	9.094	0.000	9.094	9.094	
4	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि	2.860	0.000	2.860	2.860	
5	निगरानी (Surveillance)	निगरानी (Surveillance)	29.094	15.140	13.954	29.094	
1	बन प्राप्तकर्ता प्रदातिकरी, हजारीबाग बन	बन केंद्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उपरां केंद्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीणोंदार, कम्प्यूटर इलादि का कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इलादि	6.000	4.000	2.000	6.000	
2	प्रहर बल (Striking Cell)	प्रहर बल / तकनीकी निशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इलादि	9.000	9.000	0.000	9.000	
1	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering)	2.140	2.140	0.000	2.140	
3	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	रेस्क्यू किये गये बच्चे प्राणियों के रख रखात (Upkeep of rescued animals)	9.094	0.000	9.094	9.094	
4	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि	रेस्क्यू कार्य, ट्रैनिंग एवं डाइट, आपश्यक दवाइयाँ, ड्रिंग फ़िजर आदि	1.860	0.000	1.860	1.860	
5	निगरानी (Surveillance)	निगरानी (Surveillance)	28.094	15.140	12.954	28.094	
1	नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन वायरोफ्लूटर्स, अत्यधिक संचार उपकरण योग	नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन वायरोफ्लूटर्स, अत्यधिक संचार उपकरण योग					

गोप

43/44
30.10.05

क्रम	निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी	विवरणी	प्राप्तकलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं समग्री	कुल
1	कन प्राइडल पदाधिकारी	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का पठन उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीणोंद्वारा, काम्यादृ अप्परेटर का मानदेय इत्यादि	6,000	4,000	2,000	6,000
i	गोदानीनगर वन प्राइडल					
2	प्रहर बल (Striking Force)	हामार्ड / तकनीकी विषेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि युपर राष्ट्रगांवों का संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,000	9,000	0,000	9,000
i			2,140	2,140	0,000	2,140
3	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,094	0,000	9,094	9,094
4	रेस्क्यू कार्य, देख्युलाईजिंग पर्न. डाट., आवश्यक दवाईयाँ, डीप फ़िलर आदि रेस्क्यू कार्य, देख्युलाईजिंग पर्न. डाट., आवश्यक दवाईयाँ, डीप फ़िलर आदि	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के संग्रहण (Intelligence Gathering)	1,860	0,000	1,860	1,860
i	निगरानी (Surveillance)		28,094	15,140	12,954	28,094
5	नाईट विजन कंपनी, नाईट विजन वायनोव्यूलस, अत्यधिक संचार उपकरण नाईट विजन कंपनी, नाईट विजन वायनोव्यूलस, अत्यधिक संचार उपकरण	नाईट विजन कंपनी, नाईट विजन वायनोव्यूलस, अत्यधिक संचार उपकरण योग				
i						
1	कन प्राइडल पदाधिकारी, कोर पुरिया व्याप परियोजना, पठन	उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीणोंद्वारा, काम्यादृ अप्परेटर का मानदेय प्रहर बल (Striking Force)	6,000	4,000	2,000	6,000
i						
2	हामार्ड / तकनीकी विषेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि युपर राष्ट्रगांवों का संग्रहण (Intelligence Gathering)	हामार्ड / तकनीकी विषेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि युपर राष्ट्रगांवों का संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,000	9,000	0,000	9,000
i						
3	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals)	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के संग्रहण (Intelligence Gathering)	2,140	2,140	0,000	2,140
4	रेस्क्यू कार्य, देख्युलाईजिंग पर्न. डाट., आवश्यक दवाईयाँ, डीप फ़िलर आदि रेस्क्यू कार्य, देख्युलाईजिंग पर्न. डाट., आवश्यक दवाईयाँ, डीप फ़िलर आदि	रेस्क्यू किंवे गवे राष्ट्र प्राणियों के संग्रहण (Intelligence Gathering)	9,094	0,000	9,094	9,094
i	निगरानी (Surveillance)					
5	नाईट विजन कंपनी, नाईट विजन वायनोव्यूलस, अत्यधिक संचार उपकरण वर्च प्राणी आशयणी के सुध्य द्वारा CCTV एवं पर्सीटर का कार्य बैतला नेशनल पार्क के वन्यजनी एवं वनों की सुरक्षा हेतु Electronic Surveillance System की स्थापना तीन द्वीन का क्रय	नाईट विजन कंपनी, नाईट विजन वायनोव्यूलस, अत्यधिक संचार उपकरण वर्च प्राणी आशयणी के सुध्य द्वारा CCTV एवं पर्सीटर का कार्य बैतला नेशनल पार्क के वन्यजनी एवं वनों की सुरक्षा हेतु Electronic Surveillance System की स्थापना तीन द्वीन का क्रय	1,860	0,000	1,860	1,860
i						
ii						
		योग	67,464	15,140	52,324	67,464

43/40
20.12.2015

विवरणी

क्रम	निकासी एवं व्ययन पदार्थिकारी	प्रबन्धकालित	मुख्यदृष्टि	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
1	वन प्रभाडल पदार्थिकारी, संघी वन प्रभाडल	सप के नदीय प्रकोच्च (Sub-Central Cell) का वर्तन उप के नदीय प्रकोच्च का स्थान/जीणद्वारा, कम्पहर इत्यादि का क्रय, कम्पहर ऑपरेटर का मानदेश इत्यादि	6.000	4.000	2.000	6.000
2		प्रहर बल (Striking Force) होमार्ड / तकनीकी (सिरपड़ा) / अन्य कार्यालयों का मानदेश इत्यादि	9.000	9.000	0.000	9.000
3		मुख्य सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) रेखा, किंवा गो वन्य प्राणियों के रख रखावा (Upkeep of rescued animals)	2.140	2.140	0.000	2.140
4		रेखा, किंवा द्रैलाइटिंग वन, डार्ट, आवश्यक दवाईयाँ, ड्रैप फ़िज़र आदि	9.094	0.000	9.094	9.094
5		निगरानी (Surveillance) नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन वायोलॉक्यूलर, अत्याधिक संतार उपकरण योग	28.094	15.140	12.954	28.094
6		निगरानी (Surveillance) वन प्रभाडल पदार्थिकारी, हजारिकार वन ग्रामी प्रभाडल	4.110	0.000	4.110	4.110
7		वन संरक्षक एवं क्रेन निदेशक यज्ञ परियोजना, जगदोदयर	4.110	0.000	4.110	4.110
8		वन संरक्षक एवं तथा वायोलॉक्यूलर परियोजना, जगदोदयर	1.370	0.000	1.370	1.370
		सकल योग	278.000	120.000	158.000	278.000

३०.१०.२०१५
१००० रुपये

१००० रुपये